शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN

ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol-3 Issue-1
15 Jan-2012

भारत में लैंगिक असमानता : दशा एवं दिशा

डॉ0 संगीता राय

हिन्दी विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर (बिहार)

www.shodh.net

भारत में लैंगिक असमानता : दशा एवं दिशा

विषय संकेत:- *लिंगभेद, नारी अस्मिता, सामाजिक जागरण*

सांस्कृतिक संरचना में स्त्रियों को दैवीय पद स्थान प्रदान करने वाला भारतीय समाज अपनी सामाजिक संरचना में पुत्र के जन्म को प्राय: हर्षमय एवं पुत्री के जन्म को विषादमय मानता है। किसी भी उन्नत और न्यायपूर्ण समाज के लिए ये स्थितियाँ अस्वीकार्य हैं। प्रस्तुत शोध आलेख इस सामाजिक मान्यता के फलस्वरूप उत्पन्न लैंगिक असमानता के संदर्भ में भारतीय समाज का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

धरती पर नारी का अवतरण मानव जाति की जननी तथा दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में होता है। पुरूषों के साथ सहयोग, सेवा, सहानुभूति त्याग और समर्पण की भावना रखने वाली नारी मानव समाज के उत्थान मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह सदियों से करती चली आ रही है। इसके बावजूद पुरूष प्रधान यह समाज स्वयं की तुलना में नारी को निम्न दर्जा प्रदान करता है। किन्तु सच यही है कि नारी की विशिष्टता एवं विभिन्नता उसे कतई निम्न दर्जा प्रदान नहीं करती है। ''शारीरिक भिन्नता के बावजूद ये सीमाएँ औरत की अनिवार्य एवं स्थायी नियति के रूप में नहीं स्वीकारी जा सकती है। शारीरिक भिन्नता यह नहीं स्थापित करती कि औरत गौण या यौनजनित सोपानीकरण में नीचे की सीढ़ी पर बैठी है। ये जैविक परिस्थितियाँ औरत को अधीनस्थ भूमिका स्वीकारने के लिए बाध्य नहीं कर सकतीं।''[1] स्पष्ट है नारी केवल नारी होने के कारण उपेक्षिता नहीं हो सकती।

वैदिक काल से लेकर अब तक स्त्रीजीवन ने अनेक उतार-चढ़ाव का सामना किया हैं। वैदिक काल में पुरुष और स्त्री को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त थी। वैदिकोत्तर काल में नारी की स्वतंत्रता और अधिकारों पर पुरुषों ने वैधानिक अंकुश लगाकर स्त्री के पद और मर्यादा को लंबे समय के लिए तुच्छ बना दिया। घर के अंदर स्त्री और बाहर के नि:सीम जीवन में पुरूषों का वर्चस्व स्थापित हुआ। मनुस्मृति की कुटिल दृष्टि में नारी निकृष्टतम रूप में देखी गयी, समय के बदलते क्रम के साथ यद्यपि नारी शनै:-शनै ही सही, अपनी स्थिति को मजबूत बनाती रही तथापि उनका कद पुरूषों के कद की बराबरी न कर सका।

सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने शताब्दियों से दबी-कुचली महिलाओं को अपने अधि कार के प्रति सजग किया। परिणामत: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उपर उठाने की नीति अपनायी गयी। भारतीय संविधान ने उन्हें पुरुषों के बराबर ही नागरिकता प्रदान की। इसके बावजूद आज की स्थिति में असमानता ही प्रदर्शित हो रही है। वर्ष 2005 तक 41 भारत रत्न पुरस्कारों में सिर्फ पाँच ही महिलाओं की झोली में जाना तथा 14 वीं लोकसभा के भंग होने के बावजूद फिर दो बार महिला विधेयक का लटक जाना इसी और संकेत करता है। स्त्री-पुरुष की समानता के पक्षधर संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव बतरस घाली ने भी कहा था कि सम्पूर्ण विश्व में स्त्री-पुरूष समानता का आंदोलन हमारे समय का महत्वपूर्ण आंदोलन है।[2] 1995 में बीजिंग में महिलाओं के चौथे विश्व सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस घाली का यह कथन इसी और संकेत करता हैं कि ''विश्व को महिला की दृष्टि से देखो। महिला व पुरूष वर्तमान मे असमान विश्व में रह रहे हैं। लिंग भेद तथा असहनीय असमानताएँ विश्व के विकसित एवं अविकसित सभी देशों विद्यमान हैं। 1995 में एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं है, जहाँ महिला एवं पुरुष पूर्ण समानता की स्थितियों का उपभोग करते हैं। विश्व के सभी हिस्सों में महिलाओं के प्रति भेदभाव के दृष्टिकोण, व्यवहार एवं प्रवृतियाँ जनजीवन में व्यापक स्तर पर प्रचलित हैं।[3]

स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक महिलाओं का सर्वांगीण विकास हुआ है। शिक्षा, रोजगार एवं व्यवसायों में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है अर्थात् आज महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक या मानसिक रूप से अधिक सक्षम स्वतंत्र और प्रगतिशील हैं। लेकिन महिलाओं की विकास की प्रक्रिया कदापि संतोषजनक नहीं है। अनेक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक कारणों से भारतीय महिलाओं की स्थिति कमजोर बनी हुई हैं तथा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, एवं आर्थिक भागीदारी से सम्बन्धित संकेत में भी पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति निम्नतर बनी हुई है।

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN

ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol-3 Issue-1
15 Jan-2012

भारत में लैंगिक असमानता : दशा एवं दिशा

डॉ0 संगीता राय

हिन्दी विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर (बिहार)

www.shodh.net

ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े इलाको में एवं समाज के कमजोर वर्गों में तो महिलाओं की स्थिति और भी गंभीर है। ''औरतों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मायने भी उसके निराश्रित या विकलांग होने तक सीमित है और अगर उसे 150 रू0 प्रतिमाह की पेंशन भी मिलती है तो वह इसकी हकदार नहीं रह जाती। संसाधनो पर मालिकाना हक औरत का कभी नहीं होता। संसार की सिर्फ 2.2 प्रतिशत सम्पत्ति औरतों के नाम है और काम के घंटे तिगुना। दुनिया के काम का 76.60 प्रतिशत वे ही संभालती हैं।''[4] यद्यपि भारतीय संविधान (73 वें एवं 74 वें संशोधन विधेयक) में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिए गए है तथापि उनके साथ भेद-भाव होता चला आ रहा हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर राजनीति का। रोजगार की बात हो या फिर आर्थिक समानता की, परिवार से लेकर समाज तक भेद-भाव का सिलसिला जारी है।

एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रतिवर्ष एक करोड़ कन्याएँ जन्म लेती है, जिसमें से लगभग 20 लाख को जन्म लेने से पहले मौत की नींद सुला दिया जाता है। लेकिन इंडियन-मेडिकल एशोसियेशन का मानना है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख कन्या भ्रूण नष्ट किये जाते हैं।[5] गौरतलब हैं कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार चाहे जितनी सख्ती कर ले, पर कातिलों के पास हर मर्ज की दवा है। सरकार ने भले भ्रूण हत्या के लिंग परीक्षण पर पाबंदी का कड़ा कानून बनाया हैं, ताकि कन्या भ्रूण हत्या रोकी जा सके, लेकिन चालाक, हत्यारों ने इस कानून से बचने के कई रास्ते खोज निकाले है। पहले सोनोग्राफी करके डॉक्टर पता कर लेते है थे कि भ्रूण नर है या मादा। इस टेस्ट पर सरकार ने रोक लगाई तो अब जेनेटिक टेस्ट (आनुवांशिक जाँच) करा कर लोग यह पता कर लेते हैं कि भ्रूण कन्या है अथवा पुत्र। हालांकि जेनेटिक टेस्ट भ्रूण में किस प्रकार की विकृति का उपयोग लिंग जाँचने के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। 'मेल' या 'फीमेल' तो नहीं लिखते, लेकिन कन्या भ्रूण होने पर 'आनुवांशिकीय विकृति' लिख देते हैं। यह संकेत है गर्भ में कन्या के होने का। इसके बाद कातिल गर्भ से उसकी हत्या करने मे पल भर भी नहीं गवाते।[6] चंडीगढ़ जैसे अत्याधुनिक शहर में एक हजार पुरूषों के पीछे मात्र 773 महिलाएँ रह जाना सचमुच गंभीर चिंता का विषय हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए आवश्यक है कि लिंग निर्धारण के लिए होने वाले हर प्रकार के परीक्षणों पर सरकार सख्ती से रोक लगाए। शिशु कन्या के जन्म के बाद उसे मारकर कूड़े के ढ़ेर पर फेंक देना बर्बर मानसिकता की निशानी हैं, इससे समाज को निजात दिलाना जरूरी है।

इस संदर्भ में मैं इंडिया टूडे के एक पुराने अंक में छपी एक महिला की चर्चा करना प्रासंगिक होगा। 'मिसिंग गर्ल चाइल्ड' शीर्षक से छपे समाचार मे मुताबिक 27वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर श्रीमती छीगड़ा ने अल्ट्रासाउंड परीक्षण द्वारा अपने गर्भस्थ शिशु को दवा के माध्यम से नष्ट कर दिया, क्योंकि उनके गर्भ का भ्रूण मादा था। तीन कन्या भ्रूणों के नष्ट करने के पीछे उनका तर्क था कि ''वह पहले-पहल अपने मातृत्व को पुत्र संतान की माँ बनकर ही महसूस करना चाहती है क्योंकि बकौल उनके इसी में औरत की इज्जत है।[7] हमारे समाज में अनगिनत श्रीमती छीगड़ा आज भी मौजूद हैं, कन्या भ्रूण हत्या मे विश्वास करती हैं क्योंकि वे मातृत्व की प्रथम सुख पुत्र में मानती है। शंकर विश्वास कहते है, ''मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई माँ अपनी कोख में अपने बच्चे की हत्या कराने को कैसे राजी हो जाती हैं? औरत आज भी अपने परिवार और पति के आगे बहुत मजबूर है। हमें अपने मूल्यों का पुनरावलोकन करना होगा। नारी पनघट से निकालकर राजपथ की यात्रा कर रही है, शासन-प्रशासन की मुख्य धुरी बन रही है। राजनीति, शिक्षा, शिल्पकला, संस्कृति, व्यवसाय, वाणिज्य, बैंकिग, प्रबंधन, खेलकूद, अनुसंधन, कारपोरेट जगत जैसी तमाम जगहों पर औरत चुनौतीपूर्ण एवं जोखिम भरा दायित्व बखूबी निभा रही है। स्त्री शक्ति का वर्चस्व सर्वत्र दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी और कन्या भ्रूण हत्याओं की बढ़ती संख्या और स्त्री-पुरूष अनुपात में बढ़ता असंतुलन भारतीय स्त्री के लिए बेहद खतरनाक इशारा हैं।''[8]

भारत सरकार ने सन् 1994 में प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक नियमन और दुरूपयोग से बचाव अधिनियम के तहत गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया था और इस कानून का संशोधित रूप पी.एन.डी.टी. (प्रीनेटल डिटरमीनेशन टेस्ट) 2002, 14 फरवरी 2006 को देशभर में लागू हो गया है। इस अधिनियम के उल्लंघन पर दोषी को पाँच साल की जेल और एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधन है। फिर भी आज हमारे समाज के ईश्वर माने जाने वाले तथाकथित डाक्टर माँ-बाप के दुख से आहत होकर मात्र डेढ़-दो हजार का चढ़ावा लेकर उन्हें कन्या भ्रूण से निजात दिला देते है और समाज के लिए एक स्लोगन भी छोड़ देते हैं- वर्तमान में डेढ़ हजार खर्च करके भविष्य के डेढ़ लाख के खर्च से बचिये।'' कन्या भ्रूण हत्या के परिणाम स्वरूप जब लैगिक अनुपात असमान होंगे तो स्थिति भयावह होगी ऐसी स्थिति में ''समाज में द्रोपदियों की संख्या बढ़ने के आसार अधिक हो जायेंगे और चूँकि इन कलयुगी द्रोपदियों के पति कलयुगी अर्जुन एवं भी होगें फलत: वे इस कलयुगी द्रोपदी पर एकाधिकार करने के लिए एक-दूसरे की हत्या भी

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN

ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol-3 Issue-1
15 Jan-2012

भारत में लैंगिक असमानता : दशा एवं दिशा

डॉ0 संगीता राय

हिन्दी विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर (बिहार)

www.shodh.net

कर सकते हैं।'' वैश्वीकरण के इस युग में आज भी कन्या भ्रूण हत्या जारी है। ''भारत के संपन्न राज्यों मे शुमार पंजाब और हरियाणा में स्थिति इतनी विकट हो गयी हैं कि शादी योग्य युवाओं के लिए लड़किया ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में लगभग 4 करोड़ कन्या-भ्रूण हत्या हुई है। आज भी अधिकांश लोग लड़कियों को बोझ मानते है। भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है। शादी के बाद लड़कियों को पति की संपत्ति और लड़कों का बुढ़ापे का सहारा मानने की प्रवृति है। कन्या-भ्रूण हत्या के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।''[9] एक और जनसंख्या नियंत्रण का घोषित राष्ट्रीय कार्यक्रम और दूसरी और पुत्र जन्म की अनिवार्यता संबंधी पारंपरिक सामाजिक मूल्य लैंगिक समस्या को पाटने की बजाय बढ़ावा ही
दे रही है। दहेज के कारण यह समस्या और गहराती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार प्रतिवर्ष 6000 महिलाएँ इसी कारण मारी जाती है। उत्तराधिकार संशोधन विधेयक 2005 के पारित होने से कन्या को मायके की सम्पति पर जीवन पर्यन्त अधिकार देती है तथापि वृद्धावस्था में माँ-बाप का ख्याल उसे जहाँ का तहाँ छोड़ देती हैं।

लिंग भेद की समस्या भारतीय समाज में गहरे रूप में व्याप्त हैं। एक स्त्री जो दिन-रात अथक परिश्रम करती हैं एक लड़की जिसे घर में लड़कों की अपेक्षा निम्न स्तर का भोजन दिया जाता हैं, एक शिक्षित लड़की की काबिलियत को लड़कों की शिक्षा के लिए बलि पर चढ़ा दी जाती हैं। लिंगापराध अथवा पति के मृत्युपरांत स्त्री को ही कटघरे में खड़ा किया जाता हैं। एक स्त्री जो विधवा हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समानताओं के बावजूद उसका शोषण हो रहा हैं। यद्यपि बदलते हुए परिवेश में महिलाएँ कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं तथा विभिन्न सेवाओं में अपनी हिस्सेदारियाँ दे रहीं हैं। उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी हैं। लेकिन महिलाओं के अधिकार हनन एवं शोषण की प्रवृति में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई है। कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएँ असंगठित क्षेत्र में लैंगिक आधार पर श्रम व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में असमान अवसर आदि लिंग भेद से उत्पन्न विभिन्न तथ्यों की और हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं। लिंग भेद के कारण ही कामकाजी महिला यातनाओं का शिकार बनती है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों (एन0 सी0 आर0 बी0), 2005 के अनुसार प्रत्येक तीन मिनट पर एक महिला हिंसा की शिकार, प्रत्येक 15 मिनट पर एक महिला छेड़छाड़ की शिकार बनती है। 10 में से एक महिला घर के भीतर हीं हिंसा की शिकार बनती है।[10] यह कैसी विडम्बना है कि आज भी महिलाओं के सिर से लंबी दूरी से पानी ढ़ोने जैसे अनुत्पादक कार्यो को सम्पादित कराया जा रहा है।

भारत की जनगणना 2001 के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या देश के कुल महिलाओं का 25.6 प्रतिशत हैं। अधिकांश श्रमिक महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्र की महिला श्रमिकों मे से 87 प्रतिशत खेतिहर मजदूर है। शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत श्रमिक महिलाएँ घरेलू उद्योगों, छोटे-छोटे व्यवसायो और नोकरी तथा भवन निर्माण जैसे, असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। प्रमुख उद्योगों में महिला कर्मचारियों की संख्या के विश्लेषण से पता चलता हैं कि अधिकतर महिलाएँ सामुदायिक सामाजिक और निजी सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। बिजली, गैस, पानी इत्यादि क्षेत्रों में सबसे कम संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन की 'महिला वैश्विक रोजगार' रिपोर्ट के अनुसार समान काम के लिए अभी भी पुरूषों की तुलना में महिलाओं को वेतन कम मिलता है। विश्व के 2.9 अरब रोजगारशुदा लोगों में महिलाओं की संख्या पहले से अधिक हैं। बड़ी संख्या में महिलाएँ कम, वेतन वाले कार्यो में लगी हुई हैं जैसे खेती। 70 प्रतिशत महिलाएँ खेती के कार्य में संलग्न हैं। विश्व कार्य का 60 प्रतिशत कार्य महिलाएँ संपन्न करती हैं, किन्तु केवल एक प्रतिशत विश्व पर महिलाओं का स्वामित्व प्राप्त है और विश्वव्यापी आय में केवल 10 प्रतिशत की भागीदारी है। विश्व के 10 खरब गरीबों में 60 प्रतिशत महिलाएँ हैं। तथापि आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा सुधर महिलाओं की स्थिति मे नहीं हुआ है। ''सरकारी ऋणों के आवंटन में भी खासा लिंग भेद है। कृषि, बागवानी, ट्रैक्टर या इस तरह की ठोस जरूरतों को पूरा 100 प्रतिशत पुरूषों के खाते में जाता है, औरतों का सहायता मिलती है आचार, बड़ी, पापड़ या सिलाई-कढ़ाई के काम के लिए। सिर्फ मध्यप्रदेश में महिलाओ ने ऐसे 2700 लाख रूपये इकट्ठे किये है पर एक भी उदाहरण ऐसा नहीं जहाँ उन्हें खेत का अधिकार या निर्माण कार्य का ठेका मिला हो।''[11]

हमारे देश मे पुरूष एवं महिला कार्य सहभागिता में 26 प्रतिशत लैंगिक अंतर हैं। यह दर बिहार प्रांत में 29 प्रतिशत है। हमारे देश में पुरूष एवं महिला कार्य सहभागिता में 26 प्रतिशत लैंगिंक अंतर है। असंगठित क्षेत्रों जैसे कालीन, बीड़ी, पापड़, जरी, ईंट, भट्टा, एम्ब्रोयडरि आदि कार्यो में महिला श्रमिकों का अत्यधिक आर्थिक, शारीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण होता है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2001) ने भी माना कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों का आर्थिक शोषण होता है। जिसमे उनको मनमाने ढंग से न केवल कच्ची साम्रगी के नियोजक व ठेकेदारों द्वारा कम आपूर्ति की जाती है बल्कि मजदूरी भी कम दी जाती है, जिसके कारण इनकी

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN

ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol-3 Issue-1
15 Jan-2012

भारत में लैंगिक असमानता : दशा एवं दिशा

डॉ0 संगीता राय

हिन्दी विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर (बिहार)

www.shodh.net

मेहनत का अंश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम दृष्टिगत होता है। देश के 40 करोड़ श्रमिकों में 17.4 करोड़ (69 प्रतिशत) पुरूष एवं 12.4 करोड़ (3 प्रतिशत) महिला श्रमिक है। मोटे तौर पर श्रम शक्ति को संगठित एवं असंगठित दो वर्गो में विभाजित किया जाता है। श्रमशक्ति का अधि कांश हिस्सा लगभग 93 प्रतिशत (37 प्रतिशत) असंगठित क्षेत्र एवं मात्र 7 प्रतिशत (279) संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र में 25.11 करोड़ (68 प्रतिशत) पुरूष एवं 11.89 करोड़ (32 प्रतिशत) महिला श्रमिक है। 12.4 करोड़ महिलाओं में 85 प्रतिशत ग्रामीण एवं 15 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में कार्यरत है। क्षेत्रानुसार वितरण देखा जाय तो महिला श्रमिकों की कुल संख्या 96 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में संलग्न है।

महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधर लाने के लिए श्रम मंत्रालय ने 'महिला श्रम प्रकोष्ठ' का गठन किया है, जो महिला मजदूरों की हितों के लिए काम करेगा। प्रसूति लाभ अधिनियम के अन्तर्गत भर्ती एवं सेवा शर्तो में महिला एवं पुरूष का भेदभाव दूर करने का भी प्रावधान है। उक्त प्रकोष्ठ महिला श्रमिको के कल्याणार्थ अनुदान सहायता भी चलायेगी, जिसमें उसमें जागरूकता पैदा होगी। स्वयं-सिद्धा योजना के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गतिशील बनाया जायगा। इसी कड़ी में समाज कल्याण मंत्रालय भी लिंग संबंधी समस्याओं को पाटने के लिए एक जेंडर-बजटिंग सेल के जरिए महिलाओं पर विशेष ध्यान होगा। यह तभी संभव है जब महिलाएँ मानसिक रूप से सबल होकर आत्मनिर्णय की शक्ति हासिल कर लेंगी। इस संदर्भ में डॉ0 यशवंत सिंह परमार का यह कहना तर्कसंगत है कि ''महिलाओं में बढ़ते शिक्षा के स्तर और सरकार द्वारा बनाये गए विभिन्न कानूनों के मद्देनजर महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में प्रभावी काम हुआ है, लेकिन असली लड़ाई हर एक महिला को व्यक्तिगत रूप से लड़नी होगी। महिलाओं के अधिकार हनन की कुचेष्टा समाज में होगी और ऐसे हर समय पर पीड़ित महिला को अपनी आवाज उठानी होगी ताकि वे अपने आप न्याय प्राप्त कर ही सके और साथ में दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके।''[12]

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान जनक प्रतिनिधित्व देने हेतु संविधान में संशोधन हुआ। संविधान 73 वें 74 वे संशोधन एवं जिला परिषदों में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। 26 अक्टुबर 2006 को घरेलू हिंसा, महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया गया। सैद्धान्तिक रूप से महिलाओं को पुरूषों के बराबर कानूनी अधिकार दिए गए, तथापि व्यवहार में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ व्याप्त हैं। आज देश के कुछ हिस्सों में पंचायत और जिला परिषद में महिलाओं की भागीदारी अवश्य बढ़ी है, तथापि निर्णय का अधिकार पुरूषों के हाथ में सुरक्षित है। घरेलू हिंसा के निवारण के लिए संरक्षण विधेयक 2005 के द्वारा महिलाओं को कानूनी संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। जिससे वे अन्तर और बाह्य शोषण से मुक्त रहे। दिल्ली स्थित एक सामाजिक अनुसंधान केन्द्र द्वारा कराए गए नए अध्ययन के अनुसार भारत में करीब 5 करोड़ महिलाओं को अपने घरों में हिंसा का सामना करना पड़ता है और उनके से मात्र 01 प्रतिशत ही अत्याचार के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए आगे आती है। इसका मूलभूत कारण उसमें शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण वे अपने अधिकार एवं कर्त्तव्य को समक्ष नहीं पाती। समुचित शिक्षा का अभाव लैंगिक समस्या का कारण बनती हैं क्योंकि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है।

स्पष्ट है कि ''हमारे संविधान में अवसरों की समानता की व्यवस्था है, वह लैंगिक विषमता को पूर्णत: अस्वीकार करता है। आज बाल-विवाह व दहेज प्रथा कानूनन प्रतिबंधित है। आवश्यकता है इन संवैधनिक प्रावधनों की कानूनी सुरक्षाओं के सम्मान की, समाज को उन कुप्रथाओं के प्रति जागरूक करने की।''[13] इन्दु पाठक का यह कहना लैंगिक समस्या की वास्तविकता को उजागर करती है। वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देशों में महिलाएँ पुरूषों की अपेक्षा असमान स्थितियों का सामना कर रहीं हैं। एक तरफ विश्व भर के 8000 वैज्ञानिक एकजूट होकर ब्रह्मण्ड की उत्पत्ति का रहस्य जानने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग करने में व्यस्त हैं, वहीं मानव-सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली सन्तति की जननी नारी उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश हैं। यह कैसा विरोधाभास है कि ज्ञान-विज्ञान के आधुनिक युग में भी नारी को एक व्यक्ति के रूप में पूर्ण व्यक्तित्व की स्वामिनी मानने में पुरुष वर्चस्ववादी समाज का पारंपरिक रूप आज भी पूर्ववत् है। हम चाहे जितना भी वैज्ञानिक प्रगति कर लें, ब्रह्माण्ड के एक-एक कण का रहस्य जान लें कि किन्तु जब तक मानव समाज में नर-नारी का महत्व समानता के धरातल पर नहीं उतर पाता है तब तक हमारी प्रगति अधूरी रहेगी।

सन्दर्भ:-

1.'दि सेकेण्ड ओमेन' का हिन्दी रूपान्तर, स्त्रीउपेक्षिता, प्रभा खेतान, हिन्द पॉकेट बुक्स नई दिल्ली, पृ0-33

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN

ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol-3 Issue-1
15 Jan-2012

भारत में लैंगिक असमानता : दशा एवं दिशा

डॉ0 संगीता राय

हिन्दी विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर (बिहार)

www.shodh.net

2.भारतीय महिला : स्वातंत्रयोतर छवि की पहचान, विभा देवसर, आजकल प्रकाशन विभाग, कमरा नं0 - 120, सूचना भवन सी0 जी0 ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003, अगस्त 2007, पृ0-27
3.आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान- प्रो0 एस0 एल0 वैरवा, कुरूक्षेत्र - सम्पादक कैलाश चन्द्र मीना, कमरा नं0 - 655/661, ' ए विंग', गेट नं0 - 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली -110011, मार्च 2008, पृ0-18
4.'समय', संडे नई दुनिया, यह भी कागज का दौर है, अनामिका, सम्पादक विष्णु नागर, एच0 टी0 मीडिया लि0, बी- 2, सेक्टर - 63, नोएडा, पृ0-10, 8 मार्च 2009
5.एक रिपोर्ट-राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, पैरा-1.7.3
6.इंडिया न्यूज-सम्पादक-सुधीर सक्सेना, 278 ग्राउंड फ्लोर, कैप्टेन गौड़ मार्ग, श्रीनिवासपुरी, नयी दिल्ली-110065, 30 अगस्त से 5 सितम्बर, पृ0-38
7.उपेक्षित जीवन और घटती नारी आबादी, इंदु पाठक, कुरूक्षेत्र, - सम्पादक कैलाश चन्द्र मीना, कमरा नं0 - 655/661, ' ए विंग', गेट नं0-5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली-110011, पृ0-19,मार्च 2008
8.इंडिया न्यूज- सुधीर सक्सेना, 278 ग्राउंड लोर, कैप्टेन गौड़ मार्ग, श्रीनिवासपुरी, नयी दिल्ली - 11006530, 5अगस्त से 5 सितम्बर, पृ0-38
9.नारों से नही बदलेगी स्थिति, जाहिरा आबिदी, समाजशास्त्री, जामिया मिलिया, इस्लामिया 'समय', प्रभात खबर, - प्रधान सम्पादक हरिवंश, न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस लि0, ओल्ड बाईपास रोड, कंकड़बाग पटना -20, पृ0-8, 8 मार्च 2009
10.कितनी बदली आधी आबादी, मृदुला सिन्हा, 'समय', प्रभात खबर, प्रधन सम्पादक हरिवंश, न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस लि0, ओल्ड बाईपास रोड, कंकड़बाग पटना -20, पृ0-08, 8 मार्च 2009
11.सरकारी ऋणों-यह भी कागज का दौर है, अनामिका, (समय, संडे नई दुनिया, सम्पादक विष्णु नागर, एच0 टी0 मीडिया लि0, बी- 2, सेक्टर - 63, नोएडा, पृ0-10 8 मार्च-2009)
12.महिला अधिकार संरक्षण-हरेन्द्र राज गौतम, डा0 यशवंत सिंह परमार, वागवानी एवं वानिकी विश्वद्यिालय, सोलन (हिमालच प्रदेश), कुरूक्षेत्र - सम्पादक कैलाश चन्द्र मीना, कमरा नं0 - 655/661, ' ए विंग', गेट नं0 - 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली -110011, मार्च 2008, मार्च, 2006
13.उपेक्षिज जीवन और घटती नारी आबादी, इंदु पाठक, कुरूक्षेत्र, कुरूक्षेत्र - सम्पादक कैलाश चन्द्र मीना, कमरा नं0 - 655/661, 'ए विंग', गेट नं0 - 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली -110011, मार्च 2008, पृ0-19,मार्च 2008